न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–21/2019(2019/00048) वाद पत्र

अनवान

1–पारसमल आत्मज श्रीराम जाट निवासी खानणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

वादी

बनाम

1–मदनलाल आत्मज लेहरू लाल जाट निवासी खानणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा जरिये शाखा प्रबन्धक
3–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राज0 टी0 एक्ट

उपस्थित

1–हरिश टेलर — **अधिवक्ता वादी**
2–एमएस चुण्डावत — **अधिवक्ता प्रतिवादी**

निर्णय दिनांक 24.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 22.08.2019 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम खानणिया पटवार हल्का पालरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी एवं सयुंक्त कब्जे कास्त की आराजियात संख्या 277 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 278 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 480 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 481 रकबा 1.09 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.74 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 103 पर स्थित हे। जिसमे वादी का 5/8 हिस्से का बाई मीट्स एण्ड बोड्स के आधार पर स्वतन्त्र राजस्व खाता रवेन्यु रिकार्ड में खाले जाने हेतु वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 12.12.2019 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–21/2019 (2019/00048) वाद पत्र

अनवान

1–पारसमल आत्मज श्रीराम जाट निवासी खानणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

वादी

बनाम

1–मदनलाल आत्मज लेहरू लाल जाट निवासी खानणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा जरिये शाखा प्रबन्धक
3–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 रा0 टि0 एक्ट

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम खानणिया पटवार हल्का पालरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 277/1 रकबा 0.150 है0, आराजी संख्या 278/1 रकबा 0.160 है0, आराजी संख्या 481/1 रकबा 0.625 है0, आराजी संख्या 480 रकबा 0.150 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.0850 है0 भूमि पारसमल पिता श्रीराम जाट सा0देह खातेदार के नाम तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 277/2 रकबा 0.100 है0, आराजी संख्या 278/2 रकबा 0.090 है0, आराजी संख्या 481/2 रकबा 0.465 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.655 है0 मदनलाल पिता लेहरूलाल जाट सा0 देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा रायपुर बदस्तुर दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 24.12.2019 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

24.12.19

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सत्यमेव जयते

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम खानणिया पटवार हल्का पालरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 277/1 रकबा 0.150 है0, आराजी संख्या 278/1 रकबा 0.160 है0, आराजी संख्या 481/1 रकबा 0.625 है0, आराजी संख्या 480 रकबा 0.150 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.0850 है0 भूमि पारसमल पिता श्रीराम जाट सा0देह खातेदार के नाम तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 277/2 रकबा 0.100 है0, आराजी संख्या 278/2 रकबा 0.090 है0, आराजी संख्या 481/2 रकबा 0.465 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.655 है0 मदनलाल पिता लेहरूलाल जाट सा0 देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा रायपुर बदस्तुर दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24.12.19

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2019.12.28 11:36:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: